



स्थान - श्रीमान् उपरान्त काँस्टेबल, बसवा, दोसा
उपकरण - नेत्रराम कागज डिजासलाय बँड
प्रकरण सं. - प्रार्थना पत्र अस्थायी विद्यार्थी

हकूम या कार्यवाही मग इनिशियलज जज
उ० सं. - 69/2024

12/24 पञ्जाबी प्राची नेत्रराम हाथ विद्वा
प्रा. पत्र के क्रम में लब्ध कले
के प्रा. पत्र की क्रम में न्यायालय
पत्र पर रखा जाई। प्राची नेत्रराम
हाथ प्रकरण में आपसी सहमति
होने से प्रकरण विद्वा कले की इच्छा
माता।

नेत्रराम
Jantley
Mishra
12/01/24

न्यायालय हाथ प्रकरण में
विद्वा कले की इच्छा ही जताई
है। पञ्जाबी कलेड होल नम्बर
से कले होल दालिख दफ्तर है

उप जिला
दोसा



निदेशिका - अक्टूबर 2024
पृष्ठ सं. 1000



FORM No. III
(फॉर्म अहकाम नियम 26)

APP Crll

कलेक्टर का कार्यालय मुकाम बसवा
नाम नेतराम मनाम जिला बसवा
पता बसवा तहसील बसवा जिला बसवा
दिनांक 22/7/2024

सूचना या कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति का नाम
22.7.2024 नम्बर व तारीख अहकाम जो इस सूचना की तारीख में जारी हुए

याता वास्ते तक्रारमा व रशाई जिफाजा द्वारा श्री नेतराम पुत्र रामप्रसाद गीना गिवाशी रावडावली तह.बसवा जिला-दौसा जिला जिरमे एडवोकेट श्री नवीन कुमार गुजर एवं मनोज मिश्रा के विरुद्ध प्रतिवादीगण श्री गंगाशंकर पुत्र गिरीजप्रसाद जाति गीना नमेश गिवाशी रावडावली तहसील बसवा जिला-दौसा के इस आशय का पेश किया है भूमि खाता संख्या नया 130 पुराना 188 खसरा नंबर 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1043 कुल कित्ता 16 कुल रकबा 6.98 हेक्टर ग्राम रावडावली तहसील बसवा में स्थित है जिसे भूमि मुतदाविया कटा गया है। भूमि राखवातेदारी की है जिसका अभी तक विधिवत तक्रारमा नहीं हुआ है। भूमि मुतदाविया के सरस नरस तक्रारमा करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.6.2024 को भूमि मुतदाविया का विधिवत तक्रारमा करवाने से इंकार करने के कारण प्राप्ती को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रा.पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। जिहाजा तक्रारमा करवाया जावे वादी का खाता पर्चा अलग बनाया जावे।

उपरोक्त प्रकरण का अवलोकन किया, प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रजिस्टर्ड नोटिस प्रतिवादीगण समस्त को नोटिस जारी होकर पदावली आगामी दिनांक 29.8.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

10/24 पड़ानी जेता ही पड़ानी हाउस दिनांक को वादा नेतराम द्वारा प्रकाश विज्ञापन के लिए पड़ानी तलब करने के रूप में न्यायालय हाजा में पेश की गई, प्राप्ती नेतराम ने इस हाजाय का प्रा.पत्र पेश किया है कि परकापन व वादी के मध्य शर्तनामा होने से प्रकाश withdraw करवाना चाहते हैं। कतः प्रकाश विज्ञापन की अनुमति दी जावे।

प्रा.पत्र वास्ते withdraw - मांगित के स्वकार किया जाकर, पड़ानी को समझाव दी जाती है। पड़ानी को लंबाई देकर शर्तनामा प्रकृत, न्याय ले कर ही

नेतराम
12/8/24

उप जिला नजिस्ट्रेट
बसवा (दौसा)